



उत्तर मध्य रेलवे

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ

प्रयागराज

नवाब युसुफ रोड
बाल्मिकी चौराहा, सिविल लाइन्स
प्रयागराज – 211001
दूरभाष (रेलवे) : 0532-2223961
ईमेल—helpdesk@rrcprry.org

सूचना

दस्तावेज सत्यापन व चिकित्सा परीक्षण (सीईएन सं. 08/2024) हेतु अभ्यर्थियों के लिए सूचना
(सातवें सीपीसी मैट्रिक्स के लेवल-1 में विभिन्न पदों पर भर्ती)

- केन्द्रीकृत रोजगार सूचना सं. 08/2024 के अन्तर्गत भर्ती के अगले चरण में दस्तावेज सत्यापन व चिकित्सा परीक्षण कार्यक्रम के संबंध में सूचना, आरआरसी, प्रयागराज की वेबसाइट पर दिनांक 25.09.2026 को जारी की गयी थी। उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन व चिकित्सा परीक्षण का कार्यक्रम दिनांक 26.10.2026 से निम्नानुसार प्रस्तावित है :

दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण कार्यक्रम	
दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि	दिनांक 26.10.2026 से प्रारंभ (विस्तृत कार्यक्रम व समुदायवार कट ऑफ शीघ्र ही आरआरसी की वेबसाइट पर जारी किया जायेगा)
दस्तावेज सत्यापन का स्थान	रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, प्रयागराज, नवाब यूसुफ रोड, बाल्मिकी चौराहा, सिविल लाईन्स, प्रयागराज
चिकित्सा परीक्षण	अभ्यर्थी का चिकित्सा परीक्षण उसके दस्तावेज सत्यापन के अगले कार्य दिवस पर मंडल चिकित्सालय प्रयागराज, कानपुर, आगरा एवं झांसी में आयोजित किया जाएगा।

- दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों के लिये ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने का पोर्टल लिंक आरआरसी, प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट www.rrcprry.org पर दस्तावेज सत्यापन की तिथि से 5 दिन पूर्व लाइव किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी ई-कॉल लेटर को डाउनलोड करें, प्रिंट करें और उसमें दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दस्तावेज सत्यापन के लिये शिड्यूल बनाए जाने के बाद उम्मीदवारों को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।
- उम्मीदवार ध्यान दें कि दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद, दस्तावेज सत्यापन के अगले दिन शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आरआरसी के अधिकार क्षेत्र में स्थित नामित रेलवे अस्पतालों में अनिवार्य चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा। तदनुसार उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सकीय परीक्षण के लिए दो से चार दिनों की तैयारी के साथ उपस्थित होना होगा।
- अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण हेतु सभी मूल दस्तावेज (शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, जन्मतिथि, समुदाय संबंधित प्रमाण-पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप (अधिसूचना में संलग्न प्रारूप के अनुसार) में तैयार रखें।

महत्वपूर्ण नोटः

- भर्ती से संबंधित सभी सूचनाएं/निर्देश केवल अभ्यर्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे।
- केवल ई-कॉल लेटर जारी होने का मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार की उम्मीदवारी आरआरबी/आरआरसी द्वारा भर्ती प्रक्रिया के बाद के चरणों के लिए स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा के समय, उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देने से पहले उनके क्रेडेंशियल्स के साथ उनकी तस्वीर और हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता और वास्तविकता को सत्यापित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों के साथ-साथ उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी की प्रामाणिकता का सत्यापन आगामी भर्ती चरणों अर्थात् मेडिकल परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन आदि में किया जाएगा।
- दस्तावेज सत्यापन के समय, आरआरसी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत मूल सहायक दस्तावेजों के विरुद्ध ऑनलाईन आवेदन में दिए गए विवरणों का सत्यापन करेगा। आवेदन में घोषित जानकारी और सहायक दस्तावेजों के बीच कोई विसंगति या पात्रता मानदंड (जैसे शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति/श्रेणी, चिकित्सा मानक) को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद, यह पता चलता है कि उम्मीदवार ने गलत जानकारी दी है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, तो उसका/उसकी उम्मीदवारी या नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
- यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है, जैसे जालसाजी, धोखाधड़ी, कदाचार, प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रयोग या प्रयोग करने का प्रयास, तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या छिपाना, गलत सूचना देना या झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना, अपने स्थान पर किसी अन्य को परीक्षा में बैठाना, प्रतिरूपण करने का प्रयास करना, तो उसे आजीवन आरआरबी/आरआरसी की सभी परीक्षाओं में बैठने से वंचित (डिबार) कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में किसी भी नियुक्ति से भी वंचित कर दिया जाएगा और यदि वह पहले से ही नियुक्त है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों पर विधि कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में [दिनांक 21.06.2024 से प्रभावी "सार्वजनिक परीक्षा" अधिनियम (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 (जैसा 31.07.2026 को संशोधित) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।] यह sansad.in विधान-विधेयकों पर उपलब्ध है और भारत का राजपत्र dopt.gov.in/whats-new पर भी उपलब्ध है। (सीईएन 08/2024 के पैरा 19.0 के अनुसार)
- दस्तावेज सत्यापन के लिये बुलाया जाना/शॉर्टलिस्ट किया जाना पूरी तरह से अनंतिम (Provisional) है तथा यह माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका (WP No. 7985/2026) में आनेवाले निर्णय के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा।

दिनांक : 05.10.2026

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ

प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक साधनों का इस्तेमाल कर रेलवे में नौकरी सुरक्षित कराने के झूठे वादे देकर धोखा देने का प्रयास करने वाले दलालों और जॉब रैकेटर्स से सावधान रहें। आरआरबी/आरआरसी कभी अपनी ओर से कार्य के लिए किसी एजेंट अथवा कोचिंग सेंटरों को बहाल नहीं करती हैं। व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किए जा रहे ऐसे दावों के प्रति उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है। शराबारी तत्वों से सावधान रहें और उनके चंगुल में न फँसें। आरआरबी/आरआरसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरआरबी/आरआरसी की केवल आधिकारिक वेबसाइटों को देखें और शराबारी तत्वों/दलालों द्वारा प्रस्तुत नकली वेबसाइटों और सोशल मीडिया की सामग्री से सावधान रहें।